



Neutral Citation No.- 2026:AHC:12645

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-15121 वर्ष 2025

दुर्गेश कुमार

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: कमलेश कुमार सिंह, मुकेश कुमार पांडे

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को पुनरीक्षित किया गया है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आज दायर पूरक हलफनामा अभिलेखों पर लिया जाता है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार पांडे और राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राम मोहित यादव को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का भी अवलोकन किया।
3. आवेदक ने 2024 के **मुकदमा अपराध संख्या-273** में भ०द०वि० की धारा 302 के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान **थाना-कास्या, ज़िला: कुशीनगर** में ज़मानत मांगी है।
4. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, आवेदक ने नशे की अवस्था में 26.4.2024 को शाम लगभग 05:00 बजे सूचनाकर्ता के पति (अब मृतक) के सिर पर वार किया था।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, जैसा कि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि यह अचानक उकसावे का मामला है। मुकदमा घोंघे की गति से आगे बढ़ रहा है क्योंकि आज तक दो गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है और उन्होंने अभियोजन की कहानी का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया है।

7. अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक 29.04.2024 से जेल में बंद है, इस प्रकार, कैद की अवधि लगभग एक वर्ष नौ महीने है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

8. तत्सम्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए प्रस्तुतियों और इस तथ्य पर भी विवाद करने में असमर्थ है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अपराध की प्रकृति, सजा की गंभीरता, कैद की अवधि, प्रथम दृष्टया मुझे आवेदक को जमानत पर रिहा करना एक उपयुक्त मामला लगता है। जमानत आवेदन की **अनुमति** है।

10. आवेदक- **दुर्गेश कुमार**, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

i) आवेदक मुकदमे के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होगा।

11. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।



जनवरी 19, 2026

सिद्धांत

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!